



उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(राज्य सरकार का स्वायत्तशासी निकाय विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त, भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)
हरावाला, देहरादून-248001 दूरभाष: 0135-2685124, फ़ैक्स: 0135-2685137, ईमेल: info@uau.ac.in

पत्रांक संख्या-886/302110वि0वि0/2018-19

दिनांक- 13 जून 2018

महत्वपूर्ण सूचना

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-R-13040/33/2016-HD(Tech) Part दिनांक 11 जून 2018 में दिये गये निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में शैक्षणिक सत्र 2018-19 में स्नातक पाठ्यक्रम (बी0ए0एम0एस0, बी0एच0एम0एस0, बी0यू0एम0एस0) में प्रवेश केवल सी0बी0एस0ई0 द्वारा आयोजित नीट(NEET) प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लागू नियम के आधार पर उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित काउंसिलिंग के माध्यम से किया जायेगा।

2. उक्त उल्लिखित पत्र में यह भी निर्देश दिया गया है शैक्षणिक सत्र 2018 में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी का न्यूनतम प्राप्तांक 50 परसेंटाइल एवं सामान्य श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थी हेतु 45 परसेंटाइल होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थी हेतु न्यूनतम 40 परसेंटाइल होना अनिवार्य है।

काउंसिलिंग से सम्बन्धित विस्तृत विवरण शीघ्र ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

(डा० राजेश कुमार)
प्रभारी कुलसचिव।